रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052023-245961 CG-DL-E-19052023-245961

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] No. 332] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2023/वैशाख 29, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2023/VAISAKHA 29, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2023

सं.HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(593).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं |

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 13450 (भाग 2/अनुभाग 12)	18 मई 2023	आई एस/आई एस ओ 80601-2-	18 जून
'	: 2023/आई एस ओ 80601-2-12 :	10 43 2020	12 : 2011	2023

3211 GI/2023 (1)

2020	चिकित्सीय विद्युत उपस्कर
चिकित्सीय विद्युत उपकरण	भाग 2-12 क्रिटिकल केयर
भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक	वेंटिलेटर की बुनियादी सुरक्षा और
कार्य निष्पादन के लिए विशेष अपेक्षाएँ	आवश्यक कार्य निष्पादन के लिए
अनुभाग 12 क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर	विशेष आवश्यकताएं

पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम) [विज्ञापन-III/4/असा./113/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2023

Ref:HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS(593).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

THE SCHEDULE

Sl	No., Year & Title of the Indian	Date of	No. , Year & Title of the	Date of
No.	Standards Established	Establishment	Indian Standards to be	Withdrawal
			withdrawn, if any	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 13450 (Part 2/Sec 12): 2023/ISO	18 May 2023	IS/ISO 80601-2-12 : 2011	18 June
	80601-2-12 : 2020		Medical Electrical Equipment	2023
	Medical Electrical Equipment		Part 2-12 Particular	
	Part 2 Particular Requirements for Basic		Requirements for Basic Safety	
	Safety and Essential Performance		and Essential Performance	
	Section 12 Critical Care Ventilators		Critical Care Ventilators	

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./113/2023-24]